

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(36)एम.ई./ग्रुप-1/82

जयपुर, दिनांक:

21 MAY 2014

:: परिपत्र ::

एस.बी.सिविल याचिका सं. 5570/93 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 03.08.2005 को पारित निर्णय के अनुसरण में कार्मिक (क-3/जांच) विभाग द्वारा पारित आदेश क्रमांक प. 1(244)कार्मिक/क-3/1990-पार्ट दिनांक 21.5.2008 द्वारा डॉ० अनिल संघवी, वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी को सेवा से बहाल किया गया है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 1(244)कार्मिक/क-3/1990-पार्ट दिनांक 21.5.2008, समसंख्यक आदेश दिनांक 29.07.2013 एवं आदेश दिनांक 16.5.2014 के अनुसरण में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(23)एमई/ग्रुप-1/09 दिनांक 21.7.2009 एवं तदुपरान्त वरिष्ठता निर्धारण संबंधी आदिनांक जारी सभी परिपत्रों में वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी की सूची में डॉ० अनिल संघवी का नाम क्रम संख्या "01" पर प्रतिस्थापित किया जाकर उनका क्रमांक "01" निर्धारित किया जाता है।

क्रमांक "01" पर अंकित शिक्षक चिकित्सक डॉ० विवेक भारद्वाज को डॉ० अनिल संघवी के नीचे एवं क्रमांक "02" के उपर वरिष्ठता क्रमांक "01" निर्धारित किया जाता है। शेष वरिष्ठता क्रमांक यथावत रहेंगे।

६०

(एस.पी. सिंह)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर।
4. डॉ० अनिल संघवी, वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
5. श्री आर.पी.तिवाड़ी, ए.पी. वेबसाईट पर डालने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन संयुक्त सचिव